

**URGENT
ASSEMBLY MATTER**

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. AND LUXURY
TAX L & N BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

F.No.Ex./IMFL/A.Q./2023/6766

Dated: 18/12/2023

To,

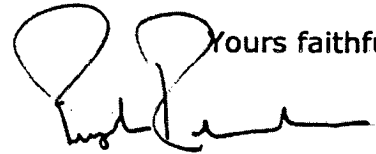
✓ Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat,
Delhi-110054.

**Sub: Reply of Un-Starred Question No.65 for 15.12.2023, raised by
Sh. Mohinder Goel, Hon'ble Member.**

Sir,

Please find enclosed herewith reply of Un-Starred Question No.65
raised by **Sh. Mohinder Goel, Hon'ble Member** for taking necessary
action at your end.

Encl. As above (100 copies).

 Yours faithfully,

Assistant Commissioner (P.Q)

Copy to: Director DIP, Old Delhi, Block-9, Delhi 54.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग
एल-ब्लॉक: विकास भवन: आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या:-65

दिनांक:- 15.12.2023

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री महेन्द्र गोयल

क्या माननीय वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

प्रश्न	उत्तर
क) क्या दिल्ली में पुरानी शराब नीति के स्थान पर जब नयी शराब नीति लागू की गयी उस दौरान नई शराब नीति से दिल्ली में राजस्व में बढ़ोतरी हुई है;	नई शराब नीति दो वित्त वर्षों (2021-2022 और 2022-23) के कालखंड के दौरान चलन में थी। इसलिए निश्चित वित्तीय आंकड़े निर्धारित करना संभव नहीं है। आबकारी विभाग से सरकार को 2020-21 वित्त वर्ष में कुल रुपए 5811.23/- करोड़, 2021-2022 वित्त वर्ष में कुल रुपए 6762.03/- करोड़ व वित्त वर्ष 2022-2023 कुल रुपए 6830.04/- करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
ख) यदि बढ़ोतरी हुई है तो कितनी हुई है, कृपया संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाये; और	नई शराब नीति दो वित्त वर्षों (2021-2022 और 2022-23) के कालखंड के दौरान चलन में थी। इसलिए निश्चित बढ़ोतरी निर्धारित करना संभव नहीं है।
ग) यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाये?	उपरोक्त।

हस्ताक्षर
कृष्ण मोहन
(आबकारी आयुक्त)